बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।
।। संकल्प ।।

विषयः– शहरी क्षेत्र में हर घर तक पाईप जलापूर्ति के लिए "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की संकल्प संख्या– 673, दिनांक– 21.12.2015 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के 7 निश्चयों में शहरी क्षेत्रों में हर घर तक पाईप जलापूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में शामिल निश्चय का उद्धरण निम्नवत है:–

"बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले इसके लिए सभी घरों में पाईप जल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अगले पांच वर्षों में चापाकल और पेयजल के अन्य साधनो पर लोगो की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।"

इसके लिए नगर विकास के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त एक नई योजना **"मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना"** प्रवर्तित एवं कार्यान्वित कराने का निर्णय लिया गया है।

2. **पृष्ठभूमि**

(i) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 20,13,671 परिवार निवास करते थे। वर्ष 2020 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की संख्या 24,16,405 अनुमानित है।

(ii) सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य जल पर्षद के माध्यम से 32 नगर निकायों में पेय जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 98,405 परिवार आच्छादित होने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से सहायता प्राप्त करके भागलपुर शहर में पेय जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिसमें लगभग 80,000 परिवार आच्छादित होने का अनुमान है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation (AMRUT)के अंतर्गत 14 शहरों की पेयजल आपूर्ति योजना की मंजूरी प्राप्त हुई है, जिससे लगभग 3,70,685 परिवार आच्छादित होने का अनुमान है।

(iii) शेष बचे लगभग 14,64,581 परिवारों को पाईप जलापूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" लागू की जानी है।

3. **योजना का उद्देश्य**

योजना के निम्नांकित उद्देश्य है :–

(i) इस योज़ना के अंतर्गत अगले 5 वर्षो में सभी शहरी परिवारों को पाईप जलापूर्ति के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना है।

(ii) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत नगर निकायों को प्रतिनिधायित दायित्वों में पेयजल का संधारण शामिल है। तदनुसार शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता विकास करना एवं पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संधारण हेतु सक्षम बनाना भी इस योजना का घटक हैं।

(iii) योजना के अंतर्गत जलापूर्ति के आधारभूत ढाँचा का निर्माण शहरी स्थानीय निकायों को साथ बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाएगा। तदनुसार बिहार राज्य जल पर्षद का क्षमता वृद्धि भी इस योजना का घटक है।

(iv) "नगर अभियंत्रण संगठन" की क्षमता वृद्धि भी इस योजना का घटक है।

4. <u>रणनीति</u>

(i) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की सघन एवं निरंतर बसे घरों के लिए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सतही जल/भूगर्भीय जल का उपयोग करके योजनाएँ बनायी जाएगी। लगभग 15–20 प्रतिशत क्षमता Overhead Tank के माध्यम से सृजित की जाएगी एवं शेष क्षमता के लिए Direct Pumping से आपूर्ति करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ii) ऐसी बसावटें, जो शहरी क्षेत्रों के किनारे पर अलग से स्थित है, उनमें छोटी विकेन्द्रित योजनाऐं ली जाएगी, जिसमें बोरिंग कर समरसेबुल पम्प के माध्यम से Direct Pumping किया जाएगा।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मॉडल परियोजना तैयार करके, सक्षम तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। नगर निकायों द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से वार्ड के अंदर या अंतरवार्ड महत्व की छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(iv) इस क्रम में शहरी स्थानीय निकायें, पूर्व से गाड़ें गये टयूबवेल, जिनका जीर्णोद्धार करना हो या क्षमता बिकसित करनी है, उसके लिए भी कार्य ले सकेंगे।

(v) छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय–समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(vi) योजना का क्रियान्वयन 'E-tendering' के माध्यम से ही किया जायेगा।

(vii) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सरकार के निश्चय की प्राप्ति के उद्देश्य से योजना की मार्गदर्शिका में समय–समय पर आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

5. निधि की व्यवस्था एवं बजट प्रावधान

(i) AMRUT से आच्छादित योजनाओं के अलावा बची हुई बड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य योजना से बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कराया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत धनराशि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनिवार्य रुप से पाईप जलापूर्ति योजनाओं के लिए कार्णांकित की जायेगी। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली विकास मद की राशि का न्यूनतम 30 प्रतिशत पाईप जलापूर्ति योजना के लिए कर्णांकित किया जाएगा। दोनों स्त्रोतों से कर्णांकित कुल राशि के बराबर समतुल्य राशि राज्य योजना से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को पेय जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायक अनुदान के रुप में अतिरिक्त आवंटित की जाएगी, जिसकी निकासी मांग सं०– 48 मुख्य शीर्ष 2215–जलापूर्ति एवं सफाई–उप मुख्य शीर्ष– 01–जलापूर्ति के विभिन्न उपशीर्षो से की जाएगी। इन योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा।

(ii) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इस योजना का अलग खाता खोला जाएगा। 14वें वित्त आयोग एवं पंचम् राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की राशि की इस योजना हेतु कर्णांकित राशि इस खाते में रखी जाएगी। राज्य स्तर से प्राप्त होने वाली राशि भी इसी खाते में रखी जाएगी।

6. अनुश्रवण की व्यवस्था

(i) संबंधित नगर निकाय बोर्ड, नगर निकाय स्तर पर योजना के अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार होंगे।

(ii) राज्य स्तर पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक समिति निम्नवत् होगी, जो राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के रुप में कार्य करेगीः–

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद	:–सचिव
मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	:–सदस्य
संबंधित नगर निकाय के प्रतिनिधि	:–सदस्य

7. गुणवता नियंत्रण

(i) प्रथम स्तर– निकाय स्तर पर संवेदक/प्रभारी अभियंता द्वारा की जायेगी।

(ii) द्वितीय स्तर– जिला गुणवत्ता समन्वयक (District Quality Monitor-DQM) इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत किया जायेगा। बिहार विकास मिशन के जिला स्तरीय "परियोजना प्रबंधन इकाई" के विशेषज्ञों द्वारा भी अनुश्रवण किया जाएगा।

(iii) तृतीय स्तर– राज्य गुणवता समन्वयक (State Quality Monitor-DQM)इसके लिए सेवानिवृत अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता तथा सेवानिवृत वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों (उप सचिव स्तर एवं उपर) का राज्य स्तरीय पैनेल तैयार कियागया है। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर विस्तृत आदेश/निर्देश/अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

(iv) Third Party Inspection-सभी योजनाओं के प्रमुख सामग्रियों यथा पाईप पम्प, मोटर, ट्रान्सफार्मर आदि के लिए अनिवार्य होगा। इस संबंध में Specification के लिए विभागीय मुख्यालय की समिति एवं IS Specification से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षो/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24.2.16

(अमृत लाल मीणा),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/जला0–01–01/2016 1287 /न०वि०एवं आ०वि०/दिनांकः 25/2/16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

24.2.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/जला0–01–01/2016 1287 /न०वि०एवं आ०वि०/दिनांकः 25/2/16

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड/टीम लीडर, स्पर/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता तथा सभी सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.16

सरकार के प्रधान सचिव।

आग-